भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 689

04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में अनिवासी भारतीय

689. श्री प्रताप सिम्हा:
श्री डी.एम कथीर आनन्द
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या का डेटा क्या है; और

(ख) विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) दिनांक 25.12.2021 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेश में रहने वाले पीआईओ और एनआरआई की कुल संख्या इस प्रकार है:

पीआईओ: 1.87 करोड़	एनआरआई: 1.35	करोड़ कुल: 3.22 करोड़

(ख) विदेश में रहने भारतीयों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने सहित उनके समग्र कल्याण के लिए समर्पित हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों से संबंधित किसी भी मुद्दे को

मिशन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। मिशन/केन्द्रं अनिवासी भारतीयों की सुरक्षा और हिफाजत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ओपन हाउस आयोजित करते हैं। उनके मुद्दों को, जहां भी आवश्यक हो, प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के लिए मेजबान सरकार के साथ उठाया जाता है।

अनिवासी भारतीयों की समग्र सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए किए गए कुछ अन्य उपाय इस प्रकार हैं:

• मंत्रालय हमारे कामगारों के कल्याण और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करता है। विदेश में प्रवास करने से पहले कामगारों को प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) दिया जाता है। इसके साथ ही संभावित प्रवासियों के लिए एक पीडीओटी मैनुअल भी तैयार किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी शामिल है। दूरदराज के क्षेत्रों से महिलाओं और संभावित प्रवासियों तक पहुंच बनाने के लिए ऑनलाइन पीडीओटी भी शुरू किया गया है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) कामगारों को बीमा सुविधा भी प्रदान करती है।

• महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 7 मई, 2020 को वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान, विदेश स्थित हमारे मिशनों/केंद्रों ने संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भोजन, आश्रय, दवा उपलब्ध कराने और भारत वापसी के मामले में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की है।

• कुछ अन्य पहलें जैसे मदद पोर्टल, भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), ई-माइग्रेट पोर्टल, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके), रिश्ता पोर्टल आदि से अनिवासी भारतीयों को सहायता प्राप्त करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने तथा उनकी सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने में सहायता मिलती हैं।

• शिकायतों को विभिन्न चैनलों जैसे कॉल, वॉक-इन, ई-मेल, ट्विटर, व्हाट्सएप, 24 x 7 हेल्पलाइन और मिशनों/केन्द्रों के अन्य सोशल मीडिया एकाउंट्स के माध्यम से भी पंजीकृत किया जाता है और उनका उत्तर दिया जाता है।

***